न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 110/2017

01. मानसिंह पुत्र कमलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी
02. लीला पुत्री कमलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

01. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

02. जंगसिंह पुत्र कमलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तार्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 22.01.2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 3189/1203/0.43 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी के पिता कमलसिंह पुत्र नारायण सिंह का कब्जा काश्त रहा है। एवं अब हाल में आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा है। मौके पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी निरन्तर रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का नाम खातेदार की जगह गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था। वादी ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार पहाडी है। कानूनन तहसीलदार को दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार का

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज होने के कारण राज सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। अतः निवेदन है कि आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का नाम गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है। मुताबिक कानून वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 13.08.2019 को वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को खातेदारी देना न्यायहित में है। अतः वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नं0 3189/1203/0.43 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है ।

.... वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को गैरखातेदारी के इन्द्राज के स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

3:– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 मानसिंह एवं पी0डब्लू02 जंगीसिंह के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी 2015 लगायत 2019, 2043 लगायत 2051, 2056 लगायत 2059, 2060 लगायत 2063 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 लगायत 2012, 2012 लगायत 2015, 2016 लगायत 2019, 2020 लगायत 2023, 2028

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 2031, 2032 लगायत 2035, 2040 लगायत 2043, 2044 लगायत 2047, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2060 लगायत 2063 एवं 2068 लगायत 2071 पेश की है।

बहस वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1:–</u> आया आराजी खसरा नं0 3189/1203/0.43 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है ।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी एवं जबाव तहसीलदार के अनुसार आराजी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी होना बखूबी प्रमाणित है। संलग्न नकल जमाबन्दीयों से यह बखूबी प्रमाणित है कि आराजी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति श्री कमलसिंह के नाम गैरखातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में आराजी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी के नाम गैरखातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2:–</u> आया आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को गैरखातेदारी के इन्द्राज के स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति श्री कमलसिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 के अनुसार विवादित आराजी कस्टोडियन नही है। एवं विवादित आराजी धारा 16 के अन्तर्गत भी नही आती है। एवं विवादित आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। अतः वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकीया भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी को 3189/1203/0.43 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 110/2017
1. मानसिंह पुत्र कमल सिंह
2. लीला पुत्री कमलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी।
2. जंग सिंह पुत्र कमल सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी

प्रतिवादी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,,88,89,आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को आराजी खसरा नम्बर 3189/1203/0.43 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैर खातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.01. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा पहाडी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner